मध्यप्रदेश शासन
परिवहन विभाग
वल्लभ भवन, मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक एफ 8-4/2011/आठ — भोपाल, दिनांक 05-01-2018

प्रति,

1) समस्त जिला कलेक्टर (म.प्र.)
2) समस्त क्षेत्रीय/अति.क्षेत्रीय/जिला परिवहन अधिकारी (म.प्र.)
3) समस्त लोक सेवा केन्द्र संचालक (म.प्र.)

विषय: "समाधान एक दिन-तत्काल सेवा" व्यवस्था के अंतर्गत परिवहन विभाग की सेवाएं प्रदान करने विषयक।

1. **सेवा :-** 15.4 - लर्निंग लायसेंस की प्रतिलिपि जारी करना।

2. **सेवा का उद्देश्य:-** इस सेवा का उद्देश्य पात्रता मापदंडो के अनुसार जिन्हें लर्निंग लायसेंस प्रदान किया जाता है, यदि किसी कारणवश वह खो/नष्ट हो जाता है, तो आवेदक को लर्निंग लायसेंस की प्रतिलिपि प्रदाय की जाती है। इस सेवा के द्वारा आवेदक को पुनः परीक्षा नही देनी होगी और न ही आवेदक का पुनः फोटो लिया जावेगा।

3. **पदाभिहित अधिकारी का पद नाम एवं समय सीमा :-**

   जिला कलेक्टर द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, समय सीमा 1 दिवस।

4. **आवश्यक दस्तावेज :-**

- निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र।
- पुलिस रिपोर्ट या स्वप्रमाणित शपथ पत्र ।

5. **आवेदन निराकरण की प्रक्रिया :-**

- आवेदन भरते समय आवेदक द्वारा मोबाइल नंबर दर्ज किया जाना अनिवार्य है। इसके अलावा आधार और ईमेल (यदि उपलब्ध हो) भी दर्ज किया जायेगा।
- आवेदक, अपना आवेदन आवश्यक दस्तावेज़ के साथ लोक सेवा केन्द्र में प्रस्तुत करेगें |
- लोक सेवा केन्द्र पर कलेक्टर द्वारा प्राधिकृत पदाभिहित अधिकारी आवेदक का आवेदन एवं दस्तावेजों की पूर्ति की जांच करेंगे |
- सेवा दस्तावेज की हस्ताक्षरित प्रति एम.पी. ट्रांसपोर्ट पोर्टल पर उपलब्ध है। ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल और एम.पी ट्रांसपोर्ट पोर्टल का आपस में इंटीग्रेशन होने के कारण पदाभिहित अधिकारी लोक सेवा केन्द्र से ही उक्त सेवा दस्तावेज को डाउनलोड कर सकते हैं।
- पदाभिहित अधिकारी द्वारा सेवा दस्तावेज प्रमाणित करके संबंधित आवेदक को प्रदाय किया जायेगा।
- पदाभिहित अधिकारी सेवा प्रदाय के बाद इस सेवा को पोर्टल में भी प्रदायित श्रेणी में अपडेट कर क्लोज करेंगे।

6. **आवेदन करने का स्थान** :- लोक सेवा केंद्र।

7. **इस कंडिका में पूर्व में जारी सभी निर्देशों का उल्लेख करते हुए उन्हे निरसित/अधिक्रमित किया जाये:-**

एतद द्वारा "समाधान एक दिन-तत्काल सेवा" व्यवस्था के अंतर्गत सेवा 15.4 के संबंध में क्र 3555/4365/17/आठ दिनांक 20.12.17 द्वारा जारी निर्देश, इन निर्देशों के जारी होने के दिनांक से निरसित माने जावेगें।

8. **अन्य महत्वपूर्ण बिन्दुओं का विवरण दिया जाये जिसे विभाग आवश्यक समझे** :-

- नागरिकों के लिए यह सेवा किसी भी लोक सेवा केन्द्र से ही प्राप्त होंगी।
- उक्त सेवा लोक सेवा केन्द्र पर तत्काल प्रदाय की जावेगी।

9. **अपील:-**

समाधान एक दिवस प्रक्रिया में भी आवेदक, लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 के अंतर्गत प्रावधानों के अनुसार अपील कर सकेगा।

(एस.एन.मिश्रा)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन, परिवहन विभाग

पृ. क्रमांक एफ 8-4/2011/आठ भोपाल, दिनांक 04-01-2018

प्रतिलिपि:-

1. सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
2. प्रमुख सचिव (समन्वय) मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
3. सचिव, लोक सेवा प्रबंधन विभाग, म.प्र.शासन, मंत्रालय,भोपाल।
4. परिवहन आयुक्त, मध्यप्रदेश ग्वालियर।
5. समस्त संभागायुक्त, म.प्र.।
6. कार्यपालन संचालक, राज्य लोक सेवा अभिकरण, म.प्र. भोपाल।
7. समस्त संभागीय उप परिवहन आयुक्त, म.प्र.।

प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन, परिवहन विभाग